धारा 170 : कर का पूर्णांकन, आदि

इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माने की रकम या किसी अन्य संदेय रकम और प्रतिदाय की रकम या किसी अन्य शोध्य राशि को निकटतम रुपए के लिए पूर्णांकित किया जाएगा और, इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम जिसमें रुपए का एक भाग पैसे के रूप में है, तब यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है, तो एक रुपए तक बढ़ाया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।